न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 90/2023 (2023/)

1. भूरा पुत्र भेरू जाति ब्राहम्ण निवासी कणोज तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

--अप्रार्थी

उपस्थित :-

1. श्री मदनगोपाल चौधरी – अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैराकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी – अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट
आदेश

दिनांक 16.06.2023

पत्रावली पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम/कस्बा कणोज तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
352–353	1710 1711/2184	0.20 1.19	बारानी 1 बारानी 1
	कुल किता 2	**कुल रकबा 1.39 हैक्टर**	

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी, कब्जे काश्त, स्वामित्व आधिपत्य, उपयोग उपभोग की आराजी है जिसमें प्रार्थी के अलावा किसी दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा नही है। प्रार्थी ने दिनांक 22.05.2023 को सीमाज्ञान करवाई परन्तु प्रार्थी की आराजीयात के पडौसी आये दिन सीमाचिन्हों को हटा देते है व प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण करने की चेष्ठा करते रहते है जिससे मौके पर आपस में विवाद होता है व सीमाज्ञान को नही मानते हे। प्रार्थी अपनी आरार्जीयात की पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे आराजीयात की सीमा के बाबत सदैव के लिए विवाद समाप्त हो जाये व प्रार्थी की आराजीयात पर अतिक्रमण नही कर सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार ने अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात खातेदारी में दर्ज है, अतः प्रकरण में राजहित प्रभावित नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार काश्तकार को स्वयं की आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम/कस्बा कणोज तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया–पुराना 352–353 में दर्ज खसरा नम्बर 1710, 1711/2184 किता 2 कुल रकबा 1.39 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी केकडी
केकड़ी (अजमेर)